समयबद्ध / सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र संख्या–वाद अनुभाग / न्याय / रा0लो0अदा0 / 2018–19 / 2044 / वाणिज्य कर

प्रेषक

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वाद अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी,2019

विषयः–वर्ष 2019 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया मा0 न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, लखनऊ के परिपत्र संख्या 201 दिनांक 08.02.2019 **(प्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक–एल–34 / 2017 / नालसा दिनांक 08.01.2019 के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या 280 दिनांक 29.01.2019 की **प्रति संलग्न** करते हुए यह अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायमूर्ति श्री ए0के0 सिकरी, न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निम्न तिथियों में कराया जायः–

कम संख्या	वर्ष 2019 (कैलेण्डर–राष्ट्रीय अदालत का आयोजन)
1	09.03.2019 (प्रस्तावित)
2	13.07.2019 (प्रस्तावित)
3	14.09.2019 (प्रस्तावित)
4	14.12.2019 (प्रस्तावित)

मा0 न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, लखनऊ द्वारा उक्त पत्र दि0 08.02.2019 की प्रति मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी है कि अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अधिकरण के सम्बन्धित पीठों के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसी अपीलों को चिन्हित करने का प्रयास करें जिनका निस्तारण सुलह समझौते से लोक अदालत के माध्यम से सम्भव हो सकता है।

कृपया उक्त पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र द्विवेदी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–

1–मा0 न्यायिक सदस्य, वाणिज्य– कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, लखनऊ को उक्त पत्र दि0 08.02.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2 –ज्वा0कमि0(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

22.2.19

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ

Scanned by CamScanner

कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या–वा0क0अधि0 / रा0लो0अदा0 / ––/2019 लखनऊ दिनाँक 08 फरवरी– 2019

समस्त सदस्य,
वाणिज्य–कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली के पत्रांक–एल–34 / 2017 / नालसा दिनांक 08.01.2019 के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या–280 दिनाँक 29.01.2019 (छाया–प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री ए0के0सिकरी, न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2019 में **राष्ट्रीय लोक अदालत** का आयोजन कराया जाय। तिथियाँ निम्न प्रकार हैं:–

क्र0सं0	वर्ष 2019 (कलेंडर–राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन)
1	09.03.2019 (प्रस्तावित)
2	13.07.2019 (प्रस्तावित)
3	14.09.2019 (प्रस्तावित)
4	14.12.2019 (प्रस्तावित)

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने हेतु मुख्यालय के आदेशांक–195 / 19 दिनांक 07.02.19 द्वारा मुझे नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है:–

1– अधिकारी का नाम — श्री नरेन्द्र कुमार–IV, (एच0जे0एस0)
2– पदनाम — न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम लखनऊ।
3– कार्यालय का दूरभाष — 0522–2287207
4– फैक्स नम्बर — 0522–2286527
5– मोबाइल नम्बर — 8006942550

उपरोक्त के सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि आप सभी राज्य प्रतिनिधि एवम् विभागीय अधिकारियों तथा व्यापारियों या उनके अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग कर ऐसी अपीलों को चिन्हित करें जिनका निस्तारण, उपरोक्त तिथियों में लोक अदालत का आयोजन कर सुलह वार्ता के माध्यम से कराया जा सके। कृत कार्यवाही से समय–समय पर नोडल अधिकारी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार। Add. Com. (Law)

9066 Commissioner 11.02.2019

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0
नोडल अधिकारी,
न्यायिक सदस्य, वाणिज्य–कर अधिकरण,
पीठ–प्रथम, लखनऊ

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0 / रा0लो0अदा0 / 201 / 2019 तद्दिनाँकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–सदस्य, सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ।
2–कमिश्नर वाणिज्य–कर, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने अधिनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अधिकरण की सम्बन्धित पीठों के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसी अपीलों को चिन्हित करने का प्रयास करें जिनका निस्तारण सुलह समझौते से लोक अदालत के माध्यम से संभव हो सकता है।
3–मुन्सरिम / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय,लखनऊ।
4–वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय।

JC (कार्य)

8.2.19

(नरेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0
नोडल अधिकारी,
न्यायिक सदस्य, वाणिज्य–कर अधिकरण,
पीठ–प्रथम लखनऊ

3097(v)

ACCT(v) 12/2/19

4703 14/02/19

Scanned by CamScanner

ज्योत्सना शर्मा,
एच0जे0एस0
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय लोक अदालत

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा मे,

1.अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
5.मीराबाई मार्ग, वाणिज्य कर भवन,
लखनऊ।

2.रजिस्ट्रार,
स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिबुनल,
इंन्द्रिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

3.पीठासीन अधिकारी,
नगर महापालिका अधिकरण,
जोन 1,त्रिलोकी नाथ मार्ग,
नियम भोपाल हाउस, लखनऊ।

पत्र सं0: 280 / एसएलएसए–07 / 2019–एन0एल0ए0(सरन), दिनांकः जनवरी 29,2019

विषयः **वर्ष 2019 में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक–एल / 34 / 2017 / नालसा दिनांक 08.01.2019(छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि माननीय न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय लोक अदात का आयोजन कराया जाय।

175
04/2/19

क0सं0	वर्ष 2019 (कलेण्डर–राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन)
1	09.03.2019(प्रस्तावित)
2	13.07.2019(प्रस्तावित)
3	14.09.2019(प्रस्तावित)
4	14.12.2019(प्रस्तावित)

परिस्थितियों की उक्त समग्रता में आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2019 में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु आवश्यक सहयोग करने का कष्ट करें।

सादर।

सलग्नक–यथोक्त।

P.A
अध्यक्ष
4.2.19

भवदीया
29.1.19
(ज्योत्सना शर्मा)
सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

2017/NALSA
th January, 2019

ember Secretary
State Legal Services Authorities.

Madam,

As approved by Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, National Legal Services Authority, National Lok Adalats will be held on 2nd Saturdays of March, July, September and December during the year 2019 on all subject matters. His Lordship has also directed that wide publicity of the National Lok Adalats, including advertisement in Newspapers, shall be given by the State Legal Services Authorities. A Schedule for National Lok Adalat to be held in the year 2019 is as under:

S.No.	Dates
1.	9/03/2019
2.	13/07/2019
3.	14/09/2019
4.	14/12/2019

2. The following types of cases (pre-litigation and pending) may be taken up for settlement in the aforesaid National Lok Adalats

Pre-litigation:

(i) NI Act cases under Section 138;
(ii) Money Recovery cases;
(iii) Labour disputes cases;
(iv) Electricity and Water Bills cases (excluding non- compoundable);
(v) Maintenance Cases;
(vi) Others (Criminal Compoundable and other Civil disputes)

Pending in the Courts:

(i) Criminal Compoundable Offences;
(ii) NI Act cases under Section 138;
(iii) Money Recovery cases;
(iv) MACT cases;
(v) Labour dispute cases;
(vi) Electricity and Water Bills cases (excluding non-compoundable);
(vii) Matrimonial disputes (except divorce);
(viii) Land Acquisition cases;
(ix) Services matters relating to pay and allowances and retiral benefits;
(x) Revenue cases (pending in District Courts and High Courts only);
(xi) Other civil cases (rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits)etc.;

4. It may also be kindly noted that CIS 3.0 which is supposedly operational in all courts across the country has a facility for referring the pending matters to Lok Adalats, distributing them amongst various benches and generating reports of disposal. A copy of the Guidelines issued by e-Committee of Supreme Court of India in this regard is attached herewith.

5. You are, therefore, requested to request all the Courts and DLSAs within your jurisdiction to use the Lok Adalats Module of CIS 3.0 for the National Lok Adalats. You are also requested to ensure feeding of disposal of cases in the National Lok Adalats (district-wise) on the NALSA's Portal.

6. Needless to say, while the emphasis in the National Lok Adalats is on maximum disposal of cases in the courts, routine Lok Adalats may continue to be held regularly which may inter-alia include settlement of cases pending in other Tribunals and Revenue Courts, etc.

With regards,

Yours sincerely,

(Alok Agarwal)
Member Secretary
National Legal Services Authority

Scanned by CamScanner